झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

स.झा.के.वि./वि. का./10/2011(रा.भा.)/28 दिनांक – 27 अप्रैल, 2016

परिपत्र

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 2.02.2016 के पत्र संख्या 14011/01/2016-रा.भा.नीति द्वारा निर्देश दिया गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेज जैसे संकल्प, सूचना, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, ठेका, संविदाएं, लाइसेंस, परमिट, रेडर फार्म, करार, प्रशानिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञाप्ति द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त संबंधित पत्र की प्रति सूचना एवं अनुपालन हेतु संलग्न है।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अनुसार ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार, निष्पादित और जारी किए जाते हैं।

यह भी उल्लेख करना है कि संसदीय राजभाष समिति निरीक्षण के समय इस विषय को गंभीरता से लेती है।

27/4/16
हिन्दी अधिकारी

प्रतिलिपिः सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु -

1. कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. सभी डीन
5. परीक्षा नियंत्रक
6. सभी केन्द्र अध्यक्ष / समन्वयक
7. उप-कुलसचिव (संपदा)/ (परीक्षा)
8. आंतरिक लेखा परीक्षक
9. कार्यपालक अभियंता
10. सहायक कुलसचिव I/II/III
11. सहायक पुस्तकालयध्यक्ष
12. सिस्टम एनालिस्ट – विश्वविद्यालय वेबसाइट के लिए
13. प्रशासन के सभी अनुभाग
14. संबंधित फाइल
15. गार्ड फाइल

27/4/16
हिन्दी अधिकारी

19360/16
1
3

फा.सं.1 4011/01/2016-रा.भा.(नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग,'बी'विंग, चौथी मंजिल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक29 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

02 FEB 2016

विषय: राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि के लिए सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी होने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें । परन्तु देखने में आता है कि इस अपेक्षा की ओर बार-बार ध्यान दिलाये जाने पर भी उल्लिखित कागजात कई कार्यालयों द्वारा केवल अंग्रेजी में ही जारी किये जा रहे हैं । जबकि धारा 3(3) के अन्तर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, करार, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञाप्ति आदि द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं ।

- केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।
- केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि मामूली तौर पर हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा । लेकिन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं ।
- परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबंध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उनका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ।